संख्या-2610/69-1-2001-2(एस.डी.)/2001टी.सी.

प्रेषक,

श्री पी.एल.पुनिया,
आयुक्त/प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनाँक-11 जुलाई, 2001

विषय :**स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत धनराशि से परियोजना तैयार करने संबंधी।**

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में 02 अक्टूबर, 1980 से स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना लागू है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए योजनायें बनाकर उनके व उनके क्षेत्र का विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। पिछले कई वर्षो से यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सेक्टोरल विभागों द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट तैयार कर शासन की अपेक्षानुसार विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 10 हजार मलिन बस्तियां है, जिनमें 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को भारत सरकार से राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम व स्वर्ण, जयन्ती शहरी रोजगार योजना में जो धनराशि मलिन बस्तियों के विकास एवं रोजगार के लिए मिलती है, उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या वाली आबादी को विकसित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

शासन के आदेशों के अनुरूप स्पेशल कम्पोनेन्ट पलन के अन्तर्गत सेक्टोरल विभागों द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट पालन के मद में उपलब्ध धनराशि का 50% मात्राकरण करके जिला योजना के अन्तर्गत कार्ययोजना तैयार करने विषयक कार्यवाही की शासन स्तर पर समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे इतनी अधिक संख्या के लोगों, जिनमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के है, उनके लिए जनपद स्तर पर जिला कार्ययोजना के अन्तर्गत मात्राकृत 50% धनराशि, जिसे सेक्टोरल विभागों द्वारा उनके लिए व्यय की जानी थी, व्यय नहीं की गयी और न ही ऐसे शहरी मलिन बस्तियों के लिए कोई प्रोजेक्ट ही तैयार किये जा रहे है।

उपर्युक्त स्थित को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी खेत्रों की ऐसी मलिन बस्तियों जहां के लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं, के आर्थिक विकास के लिए सेक्टोरल विभागों की स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 50% की धनराशि का मात्राकरण कराते हुए प्रोजेक्ट तैयारा कराया जाय जिससे कि समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके जैसा कि मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2000 में अपेक्षित है। उक्त निर्णय के अन्तर्गत मात्राकृत की जाने वाली 119 करोड़ की धनराशि से प्रदेश की 119 मलिन बस्तियों

में, प्रति मलिन बस्ती 1.00 करोड़ रुपया व्यय करने की योजना ''महर्षि बाल्मिकी मलिन बस्ती विकास योजना'' के नाम से तैयार कर राज्य सेक्टर से स्वीकृत कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अत: आपसे अपेक्षा है कि कृपया जनपद स्तर पर शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों के लिए कार्ययोजना तैयार करके कार्ययोजना की एक प्रति सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/समाज कल्याण विभाग एवं नियोजन विभाग को दिनांक 15 अगस्त, 2001 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(पी.एल.पुनिया)
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्या : 2619(1)/69-1-2001-2(एस.डी.)/2001टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।
4- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।

आज्ञा से,
(पी.एल.पुनिया)
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव